

भारत सरकार/Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

डाकघर/PO: केट/CAT  
इंदौर/Indore – 452 013

संदर्भ सं.: 14/05/2020-साप्रप्र/1044  
Ref. No. 14/05/2020-GAC/

जुलाई 23, 2020  
July 23, 2020

विषय: नवीन कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के क्रम में बचाव उपाय  
Sub: Preventive measures to contain of Novel Coronavirus (COVID-19)

आरआरकेट द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.07.2020 क्रमांक 14/05/2020-GAC / 2441 में आंशिक संशोधन तथा जिला कलेक्टर, इंदौर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.07.2020 क्रमांक 2743 /री.ए.डी.ए./20 के अनुरूप आरआरकेट के कर्मचारियों को एतद द्वारा कार्यालय में दिनांक 24.07.2020 से निम्नानुसार उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है: -

In partial modification of circular No. 14/05/2020-GAC/2441 dated 01.07.2020 and in consonance with order No. 2743 /री.ए.डी.ए./202 dated 22.07.2020 issued by District Collector, Indore, employees of RRCAT are hereby instructed to attend office as mentioned below with effect from 24.07.2020:-

1. तकनीकी अधिकारी/बी, वैज्ञानिक अधिकारी/बी तथा इस रैंक से ऊपर के सभी अधिकारी एवं प्रशासन/लेखा में सभी सहायक कार्मिक अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी व इस रैंक से ऊपर के सभी अधिकारी और क्रय/भंडार इकाईयों में सभी सहायक क्रय अधिकारी/सहायक भंडार अधिकारी व इस रैंक से ऊपर के सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

With immediate effect all officers in the rank of TO/B, SO/B and above and APOs/AAOs and above in Administration/Accounts, APOs/ASOs and above in Purchase/Stores Units will attend office on all working days.

2. सभी अराजपत्रित कर्मचारी संबंधित प्रमुख, प्रभाग/स्वतंत्र अनुभाग तथा अन्य प्रकार्यात्मक प्रमुखों (प्रशासन/लेखा व क्रय/भंडार) द्वारा तैयार रोस्टर डे-1 एवं डे-2 के अनुसार दिनांक 24.07.2020 से प्रत्येक दिन पचास प्रतिशत उपस्थिति हेतु उन्हें आवंटित दिन के अनुसार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

All Non-gazetted staff shall attend office as per the roster Day-1 and Day-2 prepared for fifty percent attendance on each day by respective Division Head /Independent Section Head and other functional heads (Admn./Accts, and Purchase/Stores) on allotted days starting from 24.07.2020.

3. अनिवार्य सेवा स्टाफ, सभी कार्य दिवसों पर, उन्हें आवंटित किए कार्य को ही करेंगे।  
Essential services staff will work on all working days as usual as per work allotted to them.

4. कार्यालय आने वाले कर्मचारी निम्नलिखित तीन शिफ्टों का पालन करेंगे:  
Employees attending office shall observe staggered timing in following three shifts:

General Shift 1	:	08:30 - 1700 hrs;
General Shift 2	:	09:00 - 1730 hrs &
General Shift 3	:	09:30 - 1800 hrs.

5. कर्मचारियों के लिए शिफ्ट, संबंधित वर्ग निदेशकों तथा प्रकार्यात्मक प्रमुखों द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में उनके कुल संबंधित कर्मचारियों के एक तिहाई उपस्थिति के रूप में आवंटित की जाएगी, जिससे कॉलोनी गेट व गार्ड हाउस पर भीड़ एकत्र ना हो एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके ।

The shifts for the employees will be allotted by respective Group Directors and functional Heads in one third manner of their total respective employees in each shift so as to avoid crowding and ensure social distancing at colony gate and guard house.

6. सभी कर्मचारियों को गृह मंत्रालय एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली COVID-19 संबंधित उपायों और दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है ।

All employees are required to follow COVID-19 related precautions and guidelines issued from time to time by Ministry of Home Affairs and local administration.

7. अगला आदेश जारी होने तक उपरोक्त निदेश लागू रहेंगे ।

Above directions will be in force until further orders.

यह निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This issues with the approval of Director, RRCAT, Indore.

शैलजा प्रकासम  
23/7/2020

(शैलजा प्रकासम/Shailaja Prakasam)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
Chief Administrative Officer

सभी पदाधिकारी - मेल ऑल द्वारा

All officials through Mail all

सूचनार्थ प्रतिलिपि/Copy for information to:

1. संयुक्त सचिव (ए व ए), पऊवि, मुंबई  
Joint Secretary (A&A), DAE, Mumbai
2. सभी प्रमुख प्रभाग/स्वतंत्र अनुभाग, आरआरकेट  
All Heads of Division/Independent Sections, RRCAT
3. उप कमांडेंट, सीआईएसएफ इकाई, आरआरकेट  
Dy. Commandant, CISF Unit, RRCAT
4. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट  
DCSO, RRCAT
5. प्रभार, आरआरकेट चिकित्सा केंद्र, आरआरकेट  
In-charge, RMC, RRCAT
6. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर - सादर सूचनार्थ  
District Collector & District Magistrate, Indore – for kind information.